>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2010 (Amendment of Section 2, etc.) (Discussion not concluded).

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक (धारा 2 का संशोधन आदि) पर मैं प्राइवेट मैम्बर बिल सदन में लेकर आया हूं। इस संबंध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मनरेगा बिल वर्ष 2004 में लोक सभा में पारित हुआ था। लेकिन धारा 2 में आज संशोधन की जरूरत है। धारा 3(1) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के एक सदस्य को ही इस बिल के तहत रोज़गार देने का प्रावधान है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को रोज़गार देने से सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पूरा रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं इसमें संशोधन चाहता हूं कि परिवार की भाषा में परिवर्तन करके परिवार के सभी सदस्यों को एक व्यक्ति मानते हुए, जितने भी व्यक्ति काम कर सकते हैं, उन सभी को जॉब कार्ड मिलना चाहिए और सभी को काम मिलना चाहिए। आज की स्थिति में यदि परिवार का एक व्यक्ति काम करता है तो पूरे परिवार का पालन नहीं हो सकता है। जब परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, तभी परिवार का चूल्हा दो समय जलता है। मैं इसमें यह संशोधन भी चाहता हूं कि मनरेगा में सौ दिन रोज़गार देने का ही प्रावधान है। साल के 365 दिन होते हैं। यदि छुट्टियों को निकाल भी दिया जाए तो भी बाकी दिनों में रोज़गार देने की ज़रूरत है। मैं सौ दिन से बढ़ाकर 240 दिन रोज़गार देने की मांग करता हूं। हम इसे रोज़गार गारंटी योजना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितना रोज़गार मांगा जाए, उतना रोज़गार मिले, तब इस बिल का अर्थ पूरा होगा। जिस ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह योजना बनी है, वहां खेती के सिवाय रोज़गार के कोई अवसर नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोई उद्योग न होने के कारण वहां के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता है।

महोदय, यह सत्य है कि भारत युवाओं का देश है। दुनिया में सर्वाधिक युवा भारत में हैं। लेकिन इतने युवाओं को काम देने के लिए सरकार के पास कोई प्रावधान दिखायी नहीं दे रहा है। सरकार रोज़गार के नये अवसरों का निर्माण करने में असफल हुई है। सरकार के मंत्रिगण सीना तान कर कहते हैं कि यह बहुत अच्छा बिल हम लेकर आए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिल के नाम के अनुसार काम नहीं चल रहा है। गांव के बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। अभी-अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान अपने माता-पिता को गांव में छोड़ कर शहरों में काम के लिए जाते हैं। यह हर गांव में हो रहा है। गांव में रोज़गार नहीं होने से वहां नौजवान रहना पसंद नहीं करते हैं। यह मजबूरी भी है। हम यह सब देखते हैं, क्योंकि हमें जनप्रतिनिधि के रूप में गांव-गांव में घूमना पड़ता है। किसान हो या खेत में काम करने वाला मजदूर हो, सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, परिश्रम से पढ़ाते हैं। पढ़ने-लिखने के बाद भी गांव में रोज़गार नहीं है। कोई मैट्रिक पढ़ता है, कोई बारहवीं पढ़ता है, कोई ग्रैजुएशन करता है, कोई आई.टी.आई. करता है, और उसके आगे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन गांव में रोज़गार नहीं है। इसके चलते नौजवानों के दिलों में निराशा छायी हुई है। ऐसे नौजवानों को काम देने के लिए मनरेगा के नाम से हमने योजना बनायी है तो इसमें हर नौजवान को काम मिलने के प्रावधान के साथ-साथ उस सीजन में उसे काम मिलना चाहिए। केवल सौ दिनों के काम में काम नहीं चलेगा।

इसमें एक और बात है कि देश की भौगोलिक स्थिति को हमने देखा है। मैं आपको यह बताऊंगा कि पंजाब, हरियाणा इस तरह के स्टेट हैं जहां खेती में इरीगेशन है। वहां पर दो-दो, तीन-तीन फसलें उगती हैं। कई स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर इरीगेशन नहीं है। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं कि मेरे महाराष्ट्र में 19 परसेंट इरीगेशन है, पंजाब में 90 प्रतिशत इरीगेशन है। मेरे यहां एक फसल होती है। बारह माह में चार माह में खेती का काम होता है, आठ माह खेती का काम नहीं होता है। गांव के किसान और किसान परिवार के नौजवान बाकी दिनों में क्या करेंगे? इसलिए सभी स्टेटों में इस योजना को हम इस तरीके से न समझें कि चार माह काम देंगे और बाकी माह खेती में काम करेंगे। ऐसी स्थिति पूरे देश में, अन्य राज्यों में नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहां पर सौ दिनों के काम का जो बंधन बना हुआ है, उसे हटाने की जरूरत है।

इस देश को हमने महात्मा गांधी के नाम से योजना दी है। इस योजना का नाम महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना जरूर है, लेकिन महात्मा गांधी की जो कल्पना थी - ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग - इस कल्पना को कभी इस सरकार ने साकार नहीं किया। सरकार इसमें सफल नहीं हुई। महात्मा गांधी जी की कल्पना के अनुसार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार निर्माण होते तो शायद आपके बीच में मुझे यह बात कहने की साहस नहीं होता और इसकी जरूरत भी नहीं होती। आप देखिए कि देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के सिवा जो रोज़गार के साधन थे, जिसमें लोहार आते हैं, कर्मकारों में कुम्हार आते हैं, बढ़ई आते हैं, इन सब लोगों का रोज़गार सरकार ने समाप्त कर दिया है। ये सारे रोज़गार शून्य, नगण्य हो गए। कुम्हारों को काम नहीं मिलता, लोहारों को काम नहीं मिलता, बढ़ई को काम नहीं मिलता। ये वर्ग जो गांवों में रहते थे, इनके भी रोजगार छिन गए। सरकार ने इनके लिए आज तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। कृषि और कर्मकारों के रोज़गार समाप्त होने के बाद यहां का नौजवान कहां जाएगा?

मैं आपके माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंदर में काम का दायरा बढ़ा है, काम बढ़ा है। इनमें जो काम दिए हुए हैं, उन कामों के आधार पर हम वहां पर विकास नहीं कर पाए हैं। भारी भ्रष्टाचार होता है। हम बार-बार देखते हैं कि कई जगहों पर अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्टर मशीन से काम कर लेते हैं और रिकॉर्ड मेनटेन करते हैं। दो दिनों से हम चैनल पर देख रहे हैं। किसी चैनल पर बताया जा रहा है कि किसी का भी नाम बताते हैं और उसके नाम से बैंक में एकाउंट खोला जाता है और बैंक में पैसे भर लेते हैं, विथड्रॉ भी कर लेते हैं और मशीन से काम करते हैं। इन सारी बातों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और उस पर मॉनिटरिंग करने की जो हमारी क्षमता होनी चाहिए, जो नियोजन होना चाहिए, वह नियोजन भी कम हो रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि काम का दायरा बढ़ाते हुए कृषि का विकास भी इसमें लेना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ में अगर कोई किसान चाहता है कि उसे अपने खेत में कुआँ खोदना है तो कुआँ बनाने के लिए भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। किसान अपने परिश्रम से कुआँ खोदता है। वहीं अगर चार किसान मिल कर जल संग्रह के लिए अपने खेतों के बीच में कोई छोटा तालाब बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी प्रावधान किया जाए। रास्ता बनाना है। खेत में जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। देखिए, इसमें प्रावधान नहीं है। एक किसान के लिए भी अगर रास्ता बनाने की जरूरत होती है और किसान सामने आकर कहता है कि मेरा परिवार इसमें काम करेगा तो इसमें इसका भी प्रावधान करें। एक खेत का रास्ता बनाने के लिए भी अगर ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में

प्रावधान होता है तो इसका जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य पूरा होगा और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ-साथ कृषि क्षेत्र का विकास होगा।

मैं अभी पढ़ रहा था, यूपीए गवर्नमेंट के जो चेयर परसन हैं, इन्होंने कहा है कि रोजगार गारंटी योजना एक सफल योजना बनती जा रही है, जिसका हम कृषि क्षेत्र को ज्यादा लाभ दे सकते हैं। उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि अगर हम कृषि क्षेत्र का काम करने के लिए जाएंगे तो इसमें देश की फसल और उपज बढ़ सकती है और कृषि का विकास हो सकता है। अगर यह करना है तो वैयक्तिक लाभ मिले, इसका भी इसमें प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खेती के विकास के लिए मनरेगा का उपयोग नहीं करेंगे, जिसमें रास्तों के साथ में सिंचाई का भी प्रावधान करने की जरूरत है। सिंचाई के लिए बढ़ावा देने के लिए मैं महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के बारे में बताता हूं। हमारे यहां पर ब्रिटिश काल से करीब-करीब दस हजार तालाब हैं। एक-एक तालाब में सौ-सौ, दो-दो सौ हैक्टेयर इरीगेशन होता है, लेकिन मनरेगा के माध्यम से इन तालाबों की मरम्मत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर है तो पूरा का पूरा कॉंट्रैक्टर के माध्यम से काम कराने का प्रयास होता है। इस पर रोक लगाते हुए मैं चाहता हूं कि इन सारे तालाबों की मरम्मत के लिए जितने मजदूर वहां काम करना चाहते हैं, उन सभी को अगर हमने काम करने दिया, मैं जिन दस हजार तालाबों की बात कर रहा हूं, उन पूरे तालाबों की अगर मरम्मत हो जाती है तो हजारों-लाखों हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, विकास की जरूरत है। इसमें दो बातें हैं कि रोजगार भी है और कृषि विकास भी है। जहां कृषि विकास होगा, वहां पर हमारे देश का अनाज और अन्य चीजों के उत्पाद में बढ़ोत्तरी होगी। हम आज जो ग्रामीण क्षेत्र को न्याय देने की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो नौजवान शहर की और पलायन कर रहे हैं, उन सब को रोकने के साथ में कृषि उपज को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसमें इन सारी बातों का प्रावधान करने का मैं सुझाव देता हूं।

हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर सरकार के मंत्री महोदय, संबंधित मंत्रालय के नहीं होते, यहां पर जो केबिनेट मंत्री बैठे हैं, इनसे मैं विनती करता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यहां मंत्री जी भी बैठे हैं।

श्री हंसराज गं. अहीर : सोरी, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस योजना को और सफल बनाने के लिए इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि ये जो योजना चल रही है, ये पूरी तरह गलत है, ये सही है। ये सही इसलिए भी है, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, अगर इस देश में सबसे पहले कहीं योजना चली है तो वह 1978 में महाराष्ट्र में चली थी। उसे वहां पर स्वीकार किया गया है, यह काम विलम्ब से हुआ है। मैं इसका दायरा इसलिए बढ़ाने की मांग कर रहा हूं, इसमें बहुत सी बातें हैं। मैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार के बारे में बता रहा हूं, वहां के नौजवानों को काम नहीं मिलता है। अगर इसकी समयावधि बढ़ा दी जाए, तो शायद इसमें हम बहुत सफलता पाएंगे। बेरोजगारी का जो विषय है, देश की जो सबसे बड़ी समस्या है और खेती की बदहाली एवं किसानों की बर्बादी की जो समस्या है, इन सारी बातों का जवाब हमें मिल जाएगा, अगर हम इसमें सौ दिन से बढ़ा कर पूरे वर्ष भर काम देने के लिए प्रावधान करें। परिवार की जो परिभाषा है कि एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार, इसको न मानते हुए, एक परिवार के जितने सदस्य काम करना चाहते हैं, उन सभी को काम देने का अगर इसमें प्रावधान किया जाता है तो निश्चित ही ये एक अच्छी सफल योजना बन सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को आप स्वीकार करेंगे। इसमें निश्चित विचार करेंगे, इन भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। ये बड़ा अहम् बिल है, मेरे भाई साहब जो लाए हैं। मैं इनका शुक्रिया करूंगा, हमें इस पर बोलने का मौका मिला। असली में इस एक्ट की जो मंशा है, ये स्कीम नहीं है, एक्ट है। हमारे देश में बहुत सी स्कीम्स बनीं, योजनाएं बनाई गईं। गांवों की माइग्रेशन रोकने के लिए, मजदूरों एवं गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम बनी, जवाहर रोजगार योजना बनी। बहुत सी ऐसी स्कीम्स आई, योजनाएं बनीं। आखिर क्या हुआ? न माइग्रेशन रूकी, न उनको रोजगार मिला। ये दोनों बातें नहीं हुयीं। आप समझते हैं कि कई बार आदमी शाम को बैठकर स्कीम बनाता है, योजना बनाता है, प्लान करता है, लेकिन कभी वह प्लान इंप्लीमेंट होता है और कभी नहीं होता है। योजनाएं ऐसी ही होती हैं। सरकार ने बड़ी अच्छी मंशा दिखायी कि स्कीम नहीं एक्ट बनाया। एक्ट यह बनाया कि एक मजदूर को पॉवर दी, एक लेबर को पॉवर दी, एक किसान को पॉवर दी कि अगर आपको रोजगार न मिले तो आप सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने अपने लिए कानून बनाया हो कि आपको रोजगार न मिले, तो मेरे ऊपर केस करना। यह एक एक्ट है, स्कीम नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह महात्मा गांधी के नाम पर बनी। पहले यह महात्मा गांधी के नाम पर नहीं थी। नेशनल रूरल इंप्लायमेंट गारंटी एक्ट था, लेकिन बाद में जब इसका रेस्पांस, इसकी सोच सामने आनी शुरू हुयी तो हमारी गवर्नमेंट ने इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लायमेंट गारंटी एक्ट रखा। यह बहुत अच्छा काम था। महात्मा गांधी जी गांव के बारे में सोचते थे कि गांव के लोग अपने घर में काम करे, विद इन दी रीच काम करें, अपने एरिया में काम करें, उनको वहीं डेवलपमेंट मिले, वहीं इफ्रास्ट्रक्चर बनायें, उनको एंपावर किया जाए कि वे अपने इलाके में काम कर पाएं।

आज कम से कम मैं यह कह सकता हूं, मैं अपनी स्टेट की बात कहता हूं, बाकी जगह भी ऐसा है, जो स्टेट पिछड़ी हुयी हैं, बैकवर्ड हैं, जो एरिया बिल्कुल ही बैकवर्ड था, रिमोट था, मेरी अपनी कांस्टीच्युंसी पच्चीस हजार वर्ग किलोमीटर की है, वहां सात जिले हैं, मेरे हिसाब से वहां दो हजार सरपंच हैं। इतनी बड़ी कांस्टीच्युंएसी है और उस इलाके में एक पंचायत को, मैं एमएलए भी रहा हूं, मिनिस्टर भी रहा हूं, मेरा एमपी का दूसरा टेन्योर है, मैंने देखा कि तीस, चालीस या पचास हजार रूपए से ज्यादा पैसा कभी पंचायत को नहीं मिला। यह ऐसा एक्ट बना, इस एक्ट से जहां गांव में कभी सीमेंट नहीं गया, वहां इसकी साठ-चालीस की रेश्यो है, पक्के-कच्चे

की रेश्यो है। मैं अभी रियासी गया था, दो-तीन डिस्ट्रिक्ट घूमा, तो ट्रकों में सीमेंट जा रहा था। मैंने पूछा कि यह सीमेंट कहां जा रहा है। मुझे बताया गया कि यह आपकी स्कीम बनी है और इस स्कीम के जरिये सीमेंट गांवों में जा रहा है। गांव सोच नहीं सकता था कि हमारे इलाके में पक्की गलियां, कच्ची गलियां, कई रास्ते, ब्राइडल पार्क, ट्रैक्टर रोड, कई कनेक्टिविटी की चीजें मैं उनको कह सकता हूं, जो आज बन गयी हैं। पीएमजीएसवाई बनने से मैं नहीं समझता कि हर गांव या हर मोहल्ले तक, क्योंकि जो कोर नेटवर्क बना, वह सड़क पर बैठकर बनाया गया, वह सारा बकवास है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने पांच सौ आबादी वाला गांव रखा, वह भी रह गए, जो आपने ढाई सौ आबादी वाले गांव रखे, वह कोर नेटवर्क में हैं ही नहीं। जो कोर नेटवर्क ने नहीं दी, उनमें भी गांव में लोगों ने दिहाड़ी और मजदूरी करके कच्चे रास्ते बनाने शुरू कर दिए। वहां बहुत खूबसूरत कच्चे रास्ते बने हैं। जो पक्के का पैसा बचता है, वहां एक मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके, जहां उनको पर्टिकुलर जरूरत होती है, वहां लगा देते हैं। यह बहुत अच्छा इंप्लीमेंट हो रहा है। रिक्लेम हुयी हमारी जो जमीनें थीं, जो नालों से बह रही थीं, वहां फ्लड प्रोटेक्शन से, जो छोटे-छोटे नाले थे, उनके लिए वहां क्रेड बार लगायी गयीं, कच्चे डंगे लगाए गए, पत्थर के लगाए गए। इससे कई लोगों की जमीनें भी बची हैं। यह भी मुबारक की बात है। असल में कमी कहां आ रही है? एक तो रोजगार सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, वह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि फेमिली के एक आदमी को काम देने का मतलब नहीं है। जब मां-बाप को बच्चा देखने को राजी नहीं है तो क्या भाई दूसरे भाई को देखने को राजी है? हर बंदे की इंडीविजुअल फेमिली है। अगर कोई चार भाई हैं, तो उनके घर में चार जवान बंदे बेरोजगार क्यों रहेंगे? चारों काम क्यों नहीं करेंगे? चारों काम करेंगे तो देश की प्रोडक्टिविटी में फर्क आएगा, देश का इफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उनके घर का चूल्हा-चौका अच्छा चलेगा। यह कौन सी बात है। हम तो यह भी कहेंगे कि लेडी भी काम करे। मेरी आपसे विनती है कि अब सौ दिन के रोजगार से काम नहीं होने वाला है। यह ठीक है कि जो स्टेट्स परिपक्व हैं, संपूर्ण हैं, कम्प्लेट हैं, जिनकी आमदनी अच्छी है, इकोनॉमिकल कंडिशन ठीक है, उस स्टेट में 100 दिनों का रोजगार हो सकता है कि बाकी दिन, वे काम कर रहे हैं। जिन स्टेट्स में, जिन रियासतों में सिवाय इसके काम है ही नहीं तो उनको आपको देखना पड़ेगा। आपको मिनिमम इसे 100 दिन की जगह 200 दिन करना पड़ेगा और 300 प्वाइंट उस दिन करना जब आपको 200 में तसल्ली हो जाएगी।

दूसरा, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसमें कमी है और वह यह है कि आपने ऐक्ट बनाया। कोई आफिसर नहीं चाहता कि पंच, सरपंच, मजदूर कोई भी जो छोटे-छोटे लोग हैं, उनसे बात करें, हिन्दुस्तान में कई ऐसे गांव हैं जहां काम नहीं मिला और काम नहीं मिलने के बाद वे बेचारे शराफत से इनके ऊपर केस भी नहीं करते हैं। उनके पास पैसे नहीं है, वे केस कैसे करेंगे? आपने कहा कि विद इन द फिफ्टीन डेज, जब वह दर्खास्त देगा, पहले उसका एक कार्ड बनेगा, कार्ड देने के बाद ऐप्लिकैशन देगा। अगर पन्द्रह दिन के अंदर उसको रोजगार नहीं मिला तो सरकार उसको भत्ता देगी। पूरे देश में कोई ऐसी जगह है जहां आपने इसको इम्प्लिमेंट किया, नहीं हुआ, ऑफिसरों की दादागिरी की वजह से गरीब आदमी को दबाए हुए रखा होता है। वे कइयों को काम नहीं देते, कार्ड बने पड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप काम नहीं देते हैं और कइयों ने काम किया हुआ है, मैंने अभी पांच-सात पंचायतों की बात सुनी, वे कह रहे थे कि सर, हमें इसका पैसा नहीं मिल रहा है। मैं डोड़ा गया था। डोड़ा में मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि हमें पैसा नहीं मिला। हमारे बहुत से लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। यह ऐक्ट है। यह कानून है, इसकी अवहेलना, ब्रीच ऑफ लॉ, how they dare उनकी कितनी हिम्मत है कि वे इस कानून को ब्रेक कर रहे हैं, कॉन्सिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उन लोगों की खबर कैसे ली जाए, उनकी खबर कौन लेगा और इसके साथ जो आदमी काम कर गया और पैसे नहीं मिले, जिसको काम नहीं मिल पाया, उसको काम नहीं दिए, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, जिसमें बहुत-सी तकलीफें हुई हैं। मैं जनाब से कहना चाहूंगा कि इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वाटर बॉडिज हैं, तलाब हैं, बहुत से बन कर आएं, इस स्कीम में कुछ कमी है कि जो काम लेबर कहीं नहीं कर सकते हैं, सख्त रॉक आती है, आपके यहां कई जगह यह नहीं आती है, हमारे यहां आती है उसमें प्रोविजन होना चाहिए कि वे जब अपना तालाब बना रहे हैं तो अगर दस हजार रुपया इक्यूपमेंट में खर्च हो जाए तो क्या तकलीफ है? वह फिक्स होना चाहिए। अगर मजदूरों से यह खुदाई नहीं हो रही है तो मजदूर जो मजदूरी कर सकता है, जहां गैती जा सकती है और जहां उसकी गैंती नहीं जा सकती है, जहां उसकी कसी नहीं जा सकती है, उस बंदे को कैसे काम करना है, वहां इक्यूपमेंट इस्तेमाल होनी चाहिए। उस इक्यूपमेंट के साथ लेबर को लगाना, ताकी वह बिजी हो जाए, ऐसी कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। अदरवाइज, मैं नहीं समझता की सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ गलत है। कुछ कमी है, इसकी इंपूवमेंट की जरूरत है। मेरी यह आपसे विनती है। मैं जनाब से यह भी कहना चाहता हूं कि उनको गंदम की हार्वेस्टिंग करनी थी, हमारे यहां कुछ गर्म पहाड़ी इलाकों पर गंदम होती है, धान भी होती है तो वहां वे ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते थे। बीस-बीस आदमी एक देसी इंजन उठा कर वहां ले जाते हैं, वे पहले तो जानवरों से काम करते थे, अब ट्रैक्टर नीचे गांव में घूम रहे हैं, उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि इस योजना से, इस ऐक्ट से लोगों ने मजदूरी कर के वहां ट्रैक्टर पहुंचा दिए, बहुत अच्छी बात है। जहां इरिगेशन नहीं हो रहा था, इसी के जरिए पानी की सुविधा कर दी। आप सिंचाई विभाग देखिए, हमारे कुछ डिशिल्टिंग, शिल्ट नहीं निकलते थें, शिल्ट निकालने के लिए मशीनरी कच्ची होती, नहीं निकलती थी, खेत में पानी नहीं जाता था। जो आखिरी खेत है उस तक पानी नहीं जाता था।

जब मनरेगा आया तो उस दिन के बाद छोटे-छोटे सुए, नहरें, डिस्ट्रीब्यूट्री ब्रांचेज की सफाई होनी शुरू हो गई। आज आप जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कह रहे हैं, इस एक्ट के जरिए वह कारण बना है। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मुझे तकलीफ है कि आप लोगों को हमारी तरफ से, सरकारों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से वहां योजनाओं के जो कैम्प लगते हैं, वे प्रॉपर्ली नहीं लगते। योजनाएं समझाई नहीं जातीं। मैं कहना चाहता हूं कि बीडीओज़, एसीडी, विलेज लैवल वर्कर्स का काम ध्यान से नहीं देखा जा रहा है। रूरल डैवलपमैंट में सब एमपीज़ हर जगह चेयरमैन होते हैं। जब व्यक्ति क्वार्टर्ली मीटिंग लेता है, मेरी काफी मीटिंग बनती हैं क्योंकि मेरे सात जिले हैं। तीन महीने में हम इतनी मीटिंग कैसे करें, लेकिन करते हैं। उस मीटिंग की रिपोर्टिंग का जवाब प्रॉपर्ली नहीं आता। जब जवाब नहीं आता तो एक्ट का प्रॉपर्ली हल नहीं होता। मेरी आपसे विनती है। इसी के साथ मैं पीएमजीएसवाई की बात करना चाहता हूं। ...(<u>व्यवधान</u>) हमारी वहां कुछ तकलीफें पैदा हो रही हैं। जब आप सौ, दो सौ दिन का रोजगार करेंगे, जो पैसे नहीं आ रहे हैं, जिसे मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। वहां जितने बलॉक हैं, उनमें पेमैंट देने वाली हैं। वह क्यों नहीं दी जा रही हैं? क्या आपके पास यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा है तो आपने पैसे क्यों नहीं दिए? अगर यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया तो उसे क्यों नहीं मंगवाया, क्यों नहीं चैक किया? यदि लेबर ने काम कर दिया और उसकी पेमैंट पन्द्रह दिन के भीतर देनी है तो क्यों नहीं दी? मैं कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को दुरुस्त करना पड़ेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): हंसराज अहीर साहब नरेगा में अमैंडमैंट के लिए जो बिल लाए हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे हिसाब से इस समय टोटल नरेगा स्कीम को संशोधित करने की जरूरत है। यह बिल लिमिटेड परपज के लिए आया है। इन्होंने सैक्शन - 2 में कहा है - जॉब कार्ड की पाबंदी है कि परिवार में एक ही व्यक्ति काम करेगा। परिवार में जितने भी व्यक्ति काम करने वाले हैं, जो जॉब कार्ड होल्डर हैं और जॉब चाहते हैं, उन सबको एलाऊ किया जाना चाहिए, ऐसा एक अमैंडमैंट लाए हैं। यह लिमिटेड परपज का अमैंडमैंट है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें कई तरह के और अमैंडमैंट आने की जरूरत है। जैसे अभी चौधरी लाल सिंह जी कह रहे थे। मैं इनकी बात से भी सहमत हूं। जैसे इस स्कीम में जो भी काम होता है, उसमें लेबर और मैटीरियल का

कम्पोनैंट निश्चित है। स्कीम कहती है कि 60 प्रतिशत लेबर पर खर्च होना चाहिए और 40 प्रतिशत मैटीरियल पर खर्च होना चाहिए। 60:40 का रोशियो कई बार उलटा हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहां एक प्रॉब्लम हुई कि रेलवे के आरयूबी कौन बनाएगा।

18.00hrs

हमने एक सजेशन दिया था कि इसे नरेगा में बना दो, क्योंकि जब आपका गेज परिवर्तन हो रहा है, तो जो रेलवे लाइन है, वह ऊंची हो जायेगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेघवाल जी, हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब शून्य काल लिया जायेगा।

-

*29

Title: Regarding Rs. 3600 crore Agusta Westland VVIP helicopter deal.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला सुबह उठाना था, लेकिन अब यह शून्य काल में आ गया है। देश भर में लोगों का मन काफी परेशान है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार काफी सीमा तक बढ़ गया है। हम भ्रष्टाचार का एक मामला उठाते हैं, तो दूसरा मामला सामने आ जाता है। एक मामला हाथ में लेते हैं, वह पूरा नहीं होता, दूसरा मामला सामने खड़ा हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर की खबर के बारे में कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि देश में उसकी खबर नहीं थी। यह मामला पहले भी उठता रहा है, लेकिन चलिए छोड़िये। पहले यह मामला नहीं था, तो अब आ गया और वह खबर दूसरे देश इटली से आयी, यानी उनको एतराज है कि इसमें पैसा लिया गया, पैसा खाया गया। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से टाट्रा ट्रक वाला मामला आया। वह खबर भी बाहर से आती है। दूसरे देश से सूचना आती है तब हम लोग, सरकार खासकर, क्योंकि हम लोगों को पता भी रहता है और उसे उठाते भी हैं तो कोई मानता नहीं है। अब रिटेल में एफडीआई आयी। वह अच्छा है या बुरा, उस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसकी खबर भी बाहर की संसद से आती है कि इसमें डेढ़ सौ करोड़ रुपये खिलाए पिलाए गए। खबर बाहर से आती है। यहां से जो खबर आती है, उस मामले को आप मुस्तैदी से नहीं लेते, कहीं रगड़ते नहीं। अब यह मामला आया। खासकर डिफेंस के मामले में चार मामले आ गये। आदर्श हाउसिंग सोसायटी का मामला सीबीआई को दे दिया। टाट्रा ट्रक का मामला सीबीआई को दे दिया। अब अगस्टा वेस्टलैंड वाला मामला आया, उसे सीबीआई को दे दिया। यह सीबीआई * ... है। ये मामले आते रहते हैं। आपने... * -- सीबीआई। सबको सीबीआई ...* अंग्रेजी की बात कर रहा है। ...(व्यवधान) हमारे गांव में कहते हैं ... जिसमें सांप, बिच्छु तमाम तरह की चीजें रहती हैं। यह सीबीआई ...* है। डिफेंस मिनिस्टर अपनी इमेज बचाने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। कोई मामला आया, यानी सीबीआई जैसे कोई थाना हो, उसे सीबीआई के थाने में दे दिया।

टेट्रा का मामला आया, तो सीबीआई को दे दिया, फिर आप किस कर्म के हैं? आप क्या काम कर रहे हैं? मैं बड़ी इज्जत करता हूं इनकी, लेकिन आप कुछ करें ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। 65 साल हो गए, कैसे-कैसे लोग इसमें मालदार हो गए, क्या यह हमको-आपको पता नहीं है। यह ऐसा धंधा है जिसमें लोग रातों-रात मालामाल हो जाते हैं। अब इस मामले में वहां की अदालत ने केस चला दिया, बात पक्की हो गयी कि इस मामले में खाया-पिया गया। घूसखोर इस देश का कौन है, अब यही आपको पता लगाना है। ज्यादा कोई चीज पता नहीं लगानी है, बाकी चीजें पता लग गयी हैं। इसमें सीबीआई क्या करेगी? आप अगर इसमें सीबीआई को लगा देंगे, तो यह एक ...* है। इसमें से बड़ा भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार अंदर से बाहर नहीं आता है। यदि एक कत्ल का केस होगा, अपराध का केस होगा, यह संस्था अच्छा काम करेगी, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए इसको जान लिया गया है कि यह एक ...* है, कुछ नहीं करना है, तो इसमें डाल दो, इस कबाड़खाने में डाल दो, इस ...* में डाल दो। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अब आपको एक ही बात पता लगानी है कि यहां किसने घूस ली। वहां क्या हुआ, हमें इसकी परवाह नहीं है। यहां किसने घूस खाई है, वह कौन है? वह व्यक्ति आज आपके पास, आपके करीब है। सरकार यदि जरा ताकत और संकल्प दिखा दे, सब तंत्र आपके पास है, दो मिनट में वह पकड़ा जा सकता है। इसमें तीन सवाल हल हो गए, पैसा खाया गया, जो डील थी, उसमें ऊपर-नीचे किया गया। लेकिन इसके बाद भी वहां की सरकार ने पकड़ लिया, केस चला दिया और जब आप गए तो आपको टका सा जवाब दे दिया कि यहां केस चला रहा है, यहां की अदालत फैसला करेगी, आपको क्या बता दें। ये गए थे वहां नाटक करने, नाटक करना है। उसको पकड़ना कौन सी बड़ी बात है।...(व्यवधान) क्या सीबीआई उसमें माथा मारेगी? सीबीआई इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। सीबीआई को हमने ठीक नहीं किया, आपने ठीक नहीं किया।...(व्यवधान) क्या कोई ऐसी चीज इसने पता लगाई। हां, कत्ल के केस में पता लगाया, अपराध के मामले में वह ठीक है। मैं मानता हूं। अगर वे फ्री रहते, तो ठीक काम कर लेते।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगर संक्षेप में बोलें, तो अच्छा होगा। यह शून्यकाल है।

श्री शरद यादव : महोदय, मैं मानता हूं कि मन में जो तकलीफ है, वह शून्यकाल में शून्य को तोड़कर आगे आ गयी है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी उसे उस गोल चक्कर के अंदर आना चाहिए।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो यहां वाला आदमी है, जिसने यहां दलाली खाई है, जो यहां का ब्रोकर है, जो यहां पर देश के डिफेंस के सब तरह के मामलो को सरकने नहीं देता है, उसे पकड़िए। अब यदि यह डील कैंसिल हो गयी, तो यह सौदा सात साल पीछे जाएगा। अगर कोई दूसरी डील करेंगे, तो सात साल बाद ही हेलीकॉप्टर आ पाएगा। इसलिए मेरी विनती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या सरकार यह पता लगाए कि इस देश में किसने यह माल काटा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसे छोड़ दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे फौज का मनोबल टूट जाएगा। वाह जी, वाह। चोरी से मनोबल टूटता है या गलत काम करने वालों को पकड़ने से मनोबल बढ़ता है। हमारे लोग सबसे ज्यादा फौज में हैं। सबसे ज्यादा फौज में हैं, सबसे ज्यादा तंग हैं। इससे मनोबल कैसे घटेगा। कई लोग बैठ गए टीवी पर, चैनल में बैठ गए हैं। वह जनरल, जो रिटायर हो गया है, वह दलालों के साथ बैठकर क्या कर रहा था? जनरल है तो क्या हुआ, जब जनरल थे तो इज्जत करते थे, लेकिन वह बिचौलियों के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं, उनके नाते-रिश्तेदार, भाई-भतीजे क्या कर रहे हैं। फौज़ के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इससे फौज़ का मनोबल टूट जाएगा। फौज में अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करता है तो उसका मान-सम्मान होता है। यह नहीं होता है कि रिटायर होने के बाद बिचौलियों के साथ बैठता हो। आपके पास वे सब नाम हैं, आपके इर्द-गिर्द ही घूम रहे हैं, हमें भी पता चलता रहता है। आपने कहा कि सीबीआई जांच करेगी, वह क्या जांच करेगी। आपको संविधान ने ताकत दी है, पुलिस आपके साथ है, सब तरह की ताकत है, तो क्यों नहीं नाम सामने आते, जिन्होंने दलाली खाई है। सीधा सा सवाल है, कि उस बिचौलिए को पकड़ो, किस-किसको पैसा मिला है, उन्हें पकड़ कर अंदर करेंगे तो अन्य के लिए दहशत होगी और बिचौलियों का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए जो मौज-मस्ती में हैं, उन्हें अंदर करो। यही मेरी विनती है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विजय बहादुर सिंह, आपने शून्य काल में बोलने के लिए दो नोटिस दिए हैं। आप नियमों के अनुसार सिर्फ एक विषय पर ही बोल सकते हैं और आपसे निवेदन है कि आपस में उन्हें न जोड़ें।

*t30

Title: Need to set up an international airport at Jhansi, Uttar Pradesh.

श्री विजय बहादुर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं केवल एक ही विषय झांसी वाले पर अपनी बात कहूंगा। अंग्रेजों ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन उनकी प्रशासनिक क्षमता अभी भी समझ में आती है। उन्होंने उत्तर भारत के झांसी को फौज का केन्द्र बनाया और रेलवे का भी केन्द्र बनाया। झांसी मिडल में है, अभी भी आर्मर कोर की सबसे बड़ी ट्रेनिंग ग्राउंड, तोप दागने की ग्राउंड झांसी में ही है। रेलवे लाइन भी उस जमाने से अभी तक उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने में झांसी केन्द्र बिंदु है। हमारा कहना यह है कि अभी सबसे बड़ी समस्या यह चल रही है कि दिल्ली और उसके आसपास कोई सेटेलाइट एयरपोर्ट नहीं है। सर्वेक्षण में झांसी का भी नाम आया था। यहां पर पर्याप्त मात्रा में जमीन है, जंगल है, मैदान है, वहां से 15-20 मिनट में प्लेन से यहां पहुंचा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं एयरपोर्ट वाले विषय पर बोल रहा हूं। मैं संसद में हूं, विधान सभा में नहीं कि रेल की बात करूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: विजय बहादुर सिंह जी के अलावा किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं फार्मूला रेल पर आ रहा हूं। झांसी में हवाई अड्डा खोलने की कार्यवाही शुरू की जाए। इससे दो फायदे होंगे। अगर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोई खतरा होता है तो आपके पास विकल्प रहेगा। सेटेलाइट एयरपोर्ट आजकल काफी जरूरत है, इस तरह की बात भी हो रही है। ऐसा न हो कि जब पानी बरसने लगे, तब आप छाता खरीदें। पानी बरसने वाला है, चाहे चीन से हो या उधर से हो।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको कैसे पता चल गया?

श्री विजय बहादुर सिंह : जब बादल आते हैं तो पानी बरसेगा, यह पता चल ही जाता है। अभी शरद यादव जी ने भी बताया था। मैं कोई लुंज-पुंज वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि झांसी से बढ़िया जगह कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि वहां पठारी, ऊसर जमीन है, खेती नहीं हो सकती। अगर वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बना देते हैं तो पूरे बुंदेलखंड का विकास होगा और वहां से पांच जिले उत्तर प्रदेश के और पांच-दस जिले बुंदेलखंड के, जो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, खजुराहो तक, वे लाभान्वित होंगे। एक बहुत बड़ा दिल्ली की सुरक्षा का कवच होगा। जिस तरह से झांसी लक्ष्मीबाई ने 1857 में लड़ाई लड़ी थी, उसका सही ट्रिब्यूट यह होगा कि यहां पर एक हवाई-अड्डा बनाया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): रानी लक्ष्मीबाई हवाई-अड्डा बनाया जाए।

श्री विजय बहादुर सिंह : नाम तो मैं अभी निर्धारित कर दूं लेकिन अभी नाम दे दें तो यह यूपीए की सरकार शायद तैयार नहीं होगी, नाम दूसरा हो जाएगा। नाम जो चाहें आप करा लें। इसलिए मैं इस नाम के बारे में ज्यादा समय न लेकर यह कहना चाहता हूं कि झांसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारम्भ किया जाए।

*t31

Title: Regarding indefinite strike by the teachers and employees of Navodaya Vidyalayas in the country.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस देश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के दिशा-निर्देशन में शिक्षा में सुधार करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी। नवोदय विद्यालय संस्कृति की हथेली पर विज्ञान का जलता हुआ चिराग है। आज नवोदय विद्यालय में शिक्षक तथा कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाओं को भविष्य के उजाले की ओर ले जाने के लिए स्थापित किये गये थे। इसमें विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हुआ करती है, छात्रों को देश की आस्था, निष्ठा, भक्ति के प्रति प्रशिक्षित किया जाता है। ग्रामीण भारत को एक निष्ठावान भारत के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। जब शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो उसमें पेंशन की भी व्यवस्था रहती है, दूसरी सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब उन्हें नौकरी मिली तो उसमें पेंशन की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण पूरे देश में शिक्षक और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हजारों-लाखों छात्र जो ग्रामीण जीवन की धारा से जन्म लेकर अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए आये हैं, आज महीनों से उनका विद्यालय बंद है। मांगे कुछ नहीं हैं, जो मांगे नियुक्ति में हैं, उन्हीं मांगों को पूरा करना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर वह क्या करना चाहता है। जिस देश ने, जिस व्यवस्था ने और पूर्व प्रधान मंत्री ने काफी मंथन करने के बाद इस विद्यालय को जन्म दिया था, उनकी मानसिक वेदना से यह विद्यालय उपस्थित हुआ था आज वह विद्यालय हड़ताल पर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस हड़ताल को समाप्त करवाने की कोशिश की जाए और उनकी जो डिमांड हैं, जो नियुक्ति में आपने उन्हें सुविधाएं दे रखीं हैं, उन्हें पूरा किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :

श्री मनोहर तिरकी,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

*m04 श्री अर्जुन राम मेघवाल,

*m05 श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान,

*m06 श्री रवनीत सिंह,

*m07 श्री हरिभाऊ जावले तथा

*m08 श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी जी को डॉ भोला सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

*t32

Title: Alleged harassment meted out to fishermen of Tamil Nadu by Sri Lankan Navy.

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the issue of fishermen.

Sir, in Tamil Nadu, almost everyday 'attack on fishermen' forms the headline news in all newspapers and TV channels. This is not the first or second incident. It has been happening since 1983. My party's leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi, had written several letters to our hon. Prime Minister and also hon. Minister for External Affairs. The former Members of Parliament of my constituency had also represented several times in this august House regarding this issue. After I became Member of Parliament, I have also represented several times in this august House regarding this issue, but till now there is no remedy at all.

Sir, whenever our fishermen go for fishing, the Sri Lankan Navy personnel are beating them brutally, breaking their boats, tearing their nets, taking away the fish caught by them, torturing and harassing them against the natural principles of law.

On November 28, 2011, five fishermen were arrested by Sri Lankan Navy and the Sri Lankan Government charged them for the offence of drug smuggling. They are the fishermen and they do not know anything except fishing. Why has the Sri Lankan Government filed such cases against our fishermen? What is the inner motive behind that? On November 10, 2012, violence erupted in the Sri Lanka's biggest prison, where our arrested fishermen are also kept, and 27 prisoners were killed. It was the good luck of our fishermen that they are safe. Had anything happened to our fishermen, who would have been held responsible?

The families and relatives of the affected fishermen came to my residence and asked for the remedial action taken by the Government. I could not answer their question. It may be a small issue to our Government, but it is a very big issue to my constituency.

The Sri Lankan Government did not get any evidence against them for the alleged crime. So, recently the relatives of those fishermen went to meet them in jail at Colombo. The arrested fishermen told them that the Sri Lankan Government was threatening them to accept the crime and saying to the prisoners 'only if you accept the crime, we will release you. Otherwise, we will never release you.'

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not go into details and be brief.

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH : Sir, I shall finish in one minute.

The Sri Lankan Government is threatening them that otherwise they would never release those fishermen. The Sri Lankan Government is torturing them like this. So, I would now urge upon the Government to take action to get those five fishermen released on a war-footing basis.

*t33

Title: Regarding loss of crops of farmers due to severe drought and hailstorm in different parts of Maharashtra.

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के कई भागों में करीब 40 सालों में सबसे ज्यादा भयावह अकाल पड़ने की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मेरा संसदीय क्षेत्र रावेर जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां ओलावृष्टि के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में चालीस साल बाद सबसे बड़ा भयावह अकाल पड़ा है। एक तरफ पानी नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ जहां अच्छी फसल हुई है वहां दस-बारह दिन पहले ओलावृष्टि के कारण 200-250 करोड़ रुपए केले की फसल का नुकसान हुआ है। हार्टीकल्चर, जिसमें फ्रूट आता है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वर्ष 2012 में चलाई है। हमारे सात हजार किसानों ने पांच करोड़ रुपए प्रीमियम दिया है। इंश्योरेंस स्कीम के कुछ नार्मस हैं, उनमें तीन महीने कम टेम्पेचर के लिए हैं और बाकी चार महीने तेज हवा के लिए हैं। इंश्योरेंस कम्पनी कहती है कि यह जो ओलावृष्टि है, वह नार्मस में नहीं आती है। किसानों ने जो पांच-छह करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया है, अगर उनके नुकसान की भरपाई नहीं होगी, तो फसल बीमा कराने का क्या फायदा है? राज्य सरकार भी नहीं देती है और केंद्र सरकार भी नहीं देती है। पूरे देश में जहां से भी 'बनाना' फल आता है, वहां किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई है। किसान बर्बादी की ओर जा रहे हैं। कुछ किसान आत्महत्या करेंगे, ऐसा लगता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि वहां अच्छे अधिकारी भेजिए और अनुमान लगाया जाए। वहां सर्वे कराएं और नुकसान की भरपाई करने की तजवीज़ करें। क्रॉप इंश्योरेंस लोन में इंश्योरेंस के नार्मस बदलने चाहिए। पूरे साल में अगर 'बनाना' की क्रॉप डेढ़ साल है तो डेढ़ साल के लिए नार्मस होने चाहिए। अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है तो नुकसान की भरपाई होनी चाहिए।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।

*t34

Title: Situation arising out of the nationwide strike by the trade unions in the country.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अति लोक महत्व मुद्दे पर अपनी बात कहना चाहता हूं। पूरे देश में ट्रेड यूनियन के श्रमिकों ने 20 और 21 फरवरी को विगत पिछले दो दिन हड़ताल की और हड़ताल सफल भी रही। सभी सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि जब भारत बंद रहता है तो कई घटनाएं होती हैं लेकिन हिंसक घटनाएं नहीं होती हैं। इस बार आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि इस बार बंद से करीब 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इतने बड़े पैसे का नुकसान हुआ है जबकि इस पैसे से देश का बहुत बड़ा विकास हो सकता था। मुझे कोई गुरेज़ नहीं है और मैं केंद्र सरकार पर आरोप लगाता हूं। इसी सदन में समय-समय पर श्रमिकों की समस्याएं बराबर रखी जाती रही हैं लेकिन सरकार ने हठधर्मिता के कारण श्रमिकों की समस्याओं को सीरियली नहीं लिया, उनकी बातों को नहीं सुना। जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तब जाकर मजबूर होकर ऐसी ही स्थिति आती है। भारत बंद एक दिन होता है लेकिन यही कारण है कि हड़ताल दो दिन रही और सफल रही। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिकों की मांगे वाजिब और जायज थी। ट्रेड यूनियन के नेताओं ने बराबर केंद्र सरकार से कहा कि हमसे वार्ता कर लें, हमारी मांगें मान लें। लेकिन जब केंद्र सरकार ने बात नहीं मानी और सरकार की हठधर्मिता के कारण मजबूर होकर हड़ताल हुई।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका नोएडा और ग्रेटर नोएडा है। गाजियाबाद में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी का क्षेत्र है। इलाहाबाद से आते हुए मुगलसराय से दिल्ली की लाइन पर तमाम फैक्ट्रियां दिखाई देती हैं। राजेन्द्र जी यहां बैठे हैं, वे मेरठ से सांसद हैं। ओखला तक जितनी भी फैक्ट्रियां थीं वहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई। यहां तक कि महिलाकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें बीएसपी सरकार के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि थे, जिनकी जांच चल रही है, उनके नाम उजागर होंगे। जांच में चाहे कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, जेल जाएंगे। आपने आगरा में कुछ माह पूर्व देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने एक सम्मेलन किया था जिसमें 40 देशों के निवेशक, यानि उद्योगपति आए थे जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते थे। उस माहौल को सुनियोजित तरीके से बिगाड़ा गया है, यह साजिश है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह स्टेट से संबंधित है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसे गंभीरता से ले। भारत बंद कई बार हुआ है, हड़तालें बहुत बार हुई हैं, लेकिन इस तरह की हिंसक घटनाएं नहीं हुई हैं। इसे केवल राज्य का मैटर समझकर न छोड़ा जाए, बल्कि आप अपनी तरफ से एक दल भेजिये और मैं चाहूंगा कि एक सर्वदलीय दल में यहां से नेता लोग जाएं और वहां जाकर देखें कि किसकी गलती थी और किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है।

उपाध्यक्ष जी, आपने टीवी पर देखा होगा कि बड़े पैमाने पर अच्छी-अच्छी गाड़ियां, जो करोड़ों रुपये की गाड़ियां हैं, उनमें आग लगाई गई। यह बहुत शर्मनाक घटना घटी है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति इस देश और प्रदेश में कहीं भी न हो। अगर श्रमिकों की जायज मांगें थीं तो केन्द्र सरकार को उन्हें मानना चाहिए। आप इसकी जांच करा लीजिए, जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वे कोई भी हों, अगर हम या हमारे दल के लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार अपनी तरफ से एक दल भेजकर इसका सर्वे कराये और जो भी नुकसान हुआ है, उसका भुगतान करे और जिन लोगों ने गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*t35

Title: Regarding exchange of enclaves between India and Bangladesh.

*SHRI NRIPENDRA NATH ROY (COOCH BEHAR) : Respected Deputy Speaker Sir, thank you for allowing me to raise a matter of public importance in this House. Through you Sir, I would like to draw the attention of Hon. Prime Minister of India. My constituency is Cooch Behar and my neighbouring district is Jalpaiguri. In both these districts, the issue of enclaves has been a burning problem for the last 65 years. Enclaves are the lands involving Bangladesh and India. 111 enclaves of India fall within the boundaries of Bangladesh while 51 enclaves of Bangladesh lie within Indian territory. The people who reside in these enclaves are deprived of all kinds of facilities. They have no educational opportunities or health care facilities. Law and order situation is grim. Daily they are harassed and tortured by the security forces manning the

borders on both sides. Sir, in the morning, we were discussing about the Hyderabad incident. Since law and order is not in place in the enclaves, it becomes easy for the terrorists or criminals to commit crimes in Bangladesh and immediately thereafter, take refuge in Indian enclaves. Similarly, the criminals of India take shelter in Bangadeshi enclaves after undertaking terrorist strikes. The situation in Jalpaiguri and Cooch Behar are grave. Law and order has gone for a toss. Thus through you, I urge upon the Government and Hon. Prime Minister to hold talks with Bangladesh as early as possibly to resolve this enclave issue effectively. This is really a burning problem which needs to be addressed immediately and basic human rights should

be restored along with the rule of law. Once again I thank you for giving me the opportunity to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिये।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : यह बहुत बड़ी समस्या है। वहां कानून का शासन नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्री जी बंगलादेश के साथ बातचीत करके जल्दी से जल्दी इनक्लेव लैंड समस्या को समाप्त करें और इनक्लेव लैंड के लोगों को कानून की शासन व्यवस्था मिले, उन्हें सजग citizen ह्यूमैनिटी मिले, यही मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बतायें कि सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस मुद्दे से अपने आपको एसोसिएट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप एसोसिएट कर सकते हैं।

श्री मनोहर तिरकी : मैं अपने आपको इस मुद्दे से एसोसिएट करता हूं।

*t36

Title: Need for equitable distribution of power in the country.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बिजली देश की जीवन रेखा है। इसका फेल होना नुकसान तो पहुंचाता है, साथ ही भारी पीड़ादायक और देश के लिए अपमानजनक भी है। हमने निर्धारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य आधा ही हासिल किया है। बिजली की मांग कितनी है, इस महत्वपूर्ण तथ्य का आकलन करने पर जानकारी मिलती है कि उद्योग विभाग में 35 प्रतिशत की मांग है, कृषि में 28 प्रतिशत की मांग है, 28 प्रतिशत की मांग घरेलू उपयोग के लिए है और नौ प्रतिशत व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होती है। हर बार बिजली का बढ़ता उत्पादन उन लोगों के काम आता है, जो इसे खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र पिछड़ जाता है और गैर उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा ताकतवर राज्यों द्वारा अपने कोटे से ज्यादा बिजली खींची जाती है। इसी वजह से पावरग्रिड फेल हो जाता है और देश की छवि को गहरा धक्का लगता है। वास्तविक बिजली उत्पादन की प्राकृतिक सीमाएं हैं, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता, इस तथ्य को ध्यान में रखकर हर राज्य को जितना कोटा दिया जाता है, वह उतनी ही बिजली निकालें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उन राज्यों को ज्यादा बिजली की आवश्यकता हो तो सौर ऊर्जा सहित सारी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाने चाहिए। महाराष्ट्र में परली के सभी ऊर्जा संयंत्र पानी न होने के कारण बंद पड़े हैं। अकाल की परिस्थिति गंभीर बनी हुई है। बच्चों की परीक्षा के दिन होने के नाते बिजली की बहुत ही आवश्यकता है। पॉवर ग्रिड से महाराष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा बिजली दें और मेरा चुनाव क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वे ज्यादा से ज्यादा बिजली दें।

*t37

Title: Need to ban the book titled 'Nutrition' for containing some objectionable facts.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) के सहयोग से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है "पोषण " अंग्रेजी में इसका नाम है "न्यूट्रिशन "। यह पुस्तक मेरे पास है, मैं साथ लाया हूँ। भोजन के संबंध में शिक्षित करने के लिए इस पुस्तक को मंत्रालय तथा उक्त संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर के जनता में बंटवाया जाता है तथा जनता को संतुलित भोजन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस पुस्तक में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के स्त्रोत एवं कार्य शीर्षक के अंतर्गत पृष्ठ छह पर अंकित सूची में क्रमांक दस पर बताया गया है कि शरीर के पोषण में ऑक्सीजन संचरण व खून बनाने के लिए लोहा आवश्यक है तथा इस महत्वपूर्ण पोशक तत्व का स्त्रोत बताते हुए यह जानकारी दी गई है कि इसका स्त्रोत गोमांस है।

महोदय, संविधान में "राज्य की नीति के निर्देशक तत्व " नामक अध्याय के अनुच्छेद 48 के अनुसार गोवंश का संरक्षण किया जाना शासन की जिम्मेदारी है। गाय परंपरा से इस देश के बहुसंख्यक विशेषकर हिंदू, सिख एवं जैन समाज की आस्था का केंद्र है। भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था का गोवंश आधार रहा है। गाय इस देश का मानबिंदु है। अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तक में ऐसी गाय का मांस खाने की सलाह देना अत्यंत आहत करने वाला, इस देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने वाला तथा सामाजिक ताने-बाने को विच्छिन्न करने वाला है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस पुस्तक को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान के अधिकारियों को दंडित किया जाए तथा संबंधित सभी पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :

श्री राकेश सिंह,

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी,

*m04 श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं

*m05 श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण स्वयं को श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी के विषय के साथ संबंद्ध करते हैं।

*t38

Title: Regarding decision taken by the Government to notify the final award of Cauvery Water Tribunal.

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Thank you very much Sir.

Mr. Deputy Speaker Sir, thank you for allowing me to raise this very important issue concerning the crores of people in Karnataka. Actually, grave injustice has been done to the State of Karnataka, the people of Bengaluru, the farmers of the Southern Karnataka in Cauvery river water dispute.

Recently, on 20th February, 2013, the Government of India has notified the final award of the Cauvery Water Disputes Tribunal which is against the interests of the state of Karnataka. I am using this opportunity to oppose this, to condemn this Notification. We always felt that the Government of India should have come to the assistance of people of Karnataka because the final award is not equitable. He has not provided any justice to the State of Karnataka.

I want to give it very briefly to the consideration of this august House. The entire basin area in square kilometres in Karnataka is 34,273 which is 42 per cent and in Tamil Nadu, it is 44,016 kilometres which is 54 per cent. The share for each State as per Cauvery Tribunal final award is 270 tmc feet of water for Karnataka which is only 37 per cent and 419 tmc feet of water which is 59 per cent to the State of Tamil Nadu. There has been series of injustice done to the State of Karnataka. We were pleading the Tribunal that we should be given 465 tmc feet of water but only 270 tmc feet of water has been

given. There is nearly 47 tmc feet of ground water available in Tamil Nadu area. But that has not been accounted by the Tribunal while sharing the river water.

Thirdly, regarding the need of Bengaluru, you know that Bengaluru is one of the fastest growing cities of the country in Asia. We have more than one crore population. We require nearly 20 tmc feet of water whereas the Tribunal has not taken this into account. The Tribunal has taken only one-third of the Bengaluru population for the purpose of accounting the water requirements of Bengaluru. I also want to apprise the House that unallocated quantity of 48 tmc of water has been erroneously reallocated on population basis. It has drastically reduced the availability of crop water and adversely affected the ongoing projects in the State of Karnataka.

The most important development to be brought to your kind notice is that the Tribunal has over-estimated the crop water requirement of Tamil Nadu based on the self-serving affidavits of Tamil Nadu and overlooking the objections of Karnataka. Finally, the final order of the Tribunal has not been directed for constitution of the Cauvery Management Board. The Tribunal, realising the fact that the constitution of a Board or Authority under section 6A of the Act of 1956 is the sole prerogative of the Central Government and also having regard to the fact that the regulation will have to be approved by the Parliament under section 6A (vii) of the Inter-State River Water Disputes Act of 1956. Therefore, our demand is that they have already notified section 6(1). Our hon. Minister Namo Narain Meenaji is here. Regarding section 6(1), the Central Government should assure this House that they will file an appeal to the Supreme Court on behalf of the Government of India. There are civil appeals from the State of Karnataka, civil appeals from the State of Tamil Nadu, civil appeals from the States of Puducherry and Kerala are pending. When the civil appeals are pending, I do not understand how the final award has been notified under section 6(1). Therefore, I would urge through you that the Government of India should intervene and should take the legal assistance and say that this decision of the Supreme Court should be reviewed.

There is another section, section 6A of the Inter-State River Water Disputes Act. Under section 6A, they can decide about the sharing of the water and the release of the water. They can come out with a scheme and to monitor that scheme, they can have a Management Board. We are totally opposed to this constitution of the Management Board. About 20 years back, there has been a final award of the Tribunal about the Ravi-Beas Award. But till today, it has not been notified. The State Government of Punjab has gone on a writ petition. Therefore, Ravi-Beas Award has been pending for notification for twenty years. In the case of Karnataka, we got the final Award in 2007 and in 2013 under the pressure of the Government of Tamil Nadu, under the political pressure, the Central Government has buckled and allowed the notification. We condemn that. We would urge and demand the Union Government of India that they should not notify section 6A. If they notify section 6A, it will be a great injustice to the State of Karnataka. Already the farmers, the people of Karnataka and the State of Karnataka are in agitation. Therefore, I want an assurance, through you, from the hon. Minister that they will assure the people of Karnataka that they will not notify section 6A of Inter-State Water Disputes Act regarding the final Award of the Cauvery Tribunal.

*t39

Title: Regarding the issue of minor forest produce in tribal areas.

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): महोदय, देश के बीस प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जंगल के इलाके में रहते हैं। जंगल का जो उत्पादन है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि तेंदू पत्ता, महुवा फ्लॉवर, बम्बू और सौ से ज्यादा ऐसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिनका सदियों से ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम था, इसे देखते हुए भारत सरकार वर्ष 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लायी। उसमें वहाँ के आदिवासियों को अधिकार दिया गया है और राज्यों की सरकार द्वारा उस माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलैक्ट करके सेल करके अपना जीविकोपार्जन करने का अधिकार दिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट के बाद भी आज तक देश के प्रायः सभी राज्यों में यह अधिकार वहाँ के आदिवासियों को नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और आपके ज़रिये भारत सरकार से निवेदन है कि हर राज्य को दिशा निर्देश दिए जाएँ। खास तौर से बैम्बू और तेन्दु पत्ता को लोगों द्वारा संग्रह करने और ग्राम सभा को परमिट देने से वे लोग इसको कलैक्ट करेंगे और सेल करेंगे। दूसरी बात है कि महुआ का जो फूल है, उस पर हर राज्य में एक्साइज़ डिपार्टमैंट ने कब्ज़ा करके रखा है, वह अपनी आमदनी करता है। उसको फ्री करना चाहिए और फॉरेस्ट राइट्स के तहत उनको अधिकार मिलना चाहिए। तेन्दु पत्ता में काफी राज्यों में काफी इनकम होती है लेकिन उस इनकम का पैसा उन पर खर्च नहीं होता है। इसलिए जितनी भी इनकम होती है, उस पर पूरा का पूरा अधिकार वहाँ के आदिवासियों और वहाँ के लोगों का है ताकि वे उससे अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

मेरा आपसे अनुरोध है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो इनडिविजुअल राइट और कम्युनिटी राइट दिया गया है, इन दोनों चीज़ों को अगर ठीक से लागू किया जाए तो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा जो मिनिरल डिपॉज़िट भी हैं, उन पर भी वहाँ के आदिवासियों का हक होता है। इसलिए जितने पैसे का व्यवसाय राज्य सरकारों ने 2006 के बाद किया है, उसको वहाँ के आदिवासियों के विकास के लिए खर्च करने की मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूँ।

*t40

Title: Regarding poor services of BSNL in West Bengal.

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार को इसकी उचित व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूँ। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में बी.एस.एन.एल. की सेवा बहुत गड़बड़ है। वहाँ कोई टेलीफोन सेवा ठीक ढंग से काम नहीं करती है। मोबाइल फोन हफ़्ता-हफ़्ता बंद रहते हैं। लैन्डलाइन जब खराब हो जाते हैं तो महीना भर खराब रहते हैं। जब वहाँ शिकायत करते हैं तो ठीक करने वाला कोई नहीं होता है लेकिन उसका बिल ठीक समय पर हाज़िर हो जाता है। मोबाइल टावर से सिगनल हफ्ता भर, महीने भर नहीं रहते लेकिन शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों का क्षेत्र पहाड़ी है और सीमांत क्षेत्र है। इसकी सीमा से लगा हुआ भूटान है, एक तरफ बंग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है और हमारा असम भी साथ लगा हुआ है। वहाँ जो सुरक्षा में तैनात लोग हैं बी.एस.एफ. वगैरह के, वे हमसे शिकायत करते हैं कि आप दिल्ली में यह मामला क्यों नहीं उठाते हैं। इस कारण वे लोग भी अपने संबंधियों से बात नहीं कर पाते हैं। बी.एस.एन.एल. का काम एक लाभकारी संस्था के हिसाब से बनाया गया है, इसलिए उसको ठीक से काम करना चाहिए, पैसा ठीक से लेना चाहिए। अभी लोग इनके टेलीफोन हटा रहे हैं, लैन्डलाइन वापस कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। हमें बड़ा अफसोस लगता है कि हमें अपने इलाके में तीन-चार फोन रखने पड़ते हैं। जहाँ बी.एस.एन.एल. है, वहाँ एयरटैल नहीं मिलता है, एयरटैल होगा तो बी.एस.एन.एल. नहीं मिलता है। यह बी.एस.एन.एल. पूरे भारत में सेवा देती है, इसलिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि हम देश में कहीं भी उसकी सेवाओं का प्रयोग ठीक से कर सकें। यह उनकी मिलीभगत है कि जहाँ एयरटैल है वहाँ बी.एस.एन.एल. नहीं चलेगा, बी.एस.एन.एल. है तो वोडाफोन नहीं चलेगा, इसलिए आदमी को चार-पाँच फोन रखने पड़ते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए बी.एस.एन.एल. की सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि सारे भारत में कहीं भी इसका उपयोग अच्छे से हो सके, इसका मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ। रिपेयरिंग और मरम्मत की सेवाएँ ठीक से मिलें, इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ।

*t41

Title: Issue regarding increase of height of Narmada dam.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गुजरात राज्य स्थित नर्मदा बाँध की ऊँचाई बढ़ाने जैसे अति लोक महत्व के मुद्दे को उठाने की इजाज़त प्रदान की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, आप जानते हैं कि गुजरात राज्य बार-बार सूखे से प्रभावित होता रहता है। इसके कारण कई क्षेत्रों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। इस समस्या के निवारण हेतु हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने नर्मदा नदी पर बाँध बनाने हेतु पहला पत्थर 45 साल पहले रखा था।

लेकिन इतने साल बाद भी सरदार सरोवर योजना पूर्ण नहीं हुई है, जो हमारे लिए जीवन-रेखा है। नर्मदा बांध की ऊंचाई पूर्ण न होने के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। बांध की अंतिम ऊंचाई की सीमा जो कि 138.68 मीटर तय की गई है, जिसे अभी भी बढ़ाया जाना बाकी है, वर्ष 2006 में 121.92 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाने की अनुमति मिली थी तथा अभी भी 17 मीटर की अनुमति मिलना शेष है।

महोदय, नर्मदा बांध की ऊंचाई पूर्ण होने से देश को बहुत लाभ होगा। जैसे कि बांध की जल संरक्षण क्षमता 46.8 लाख एकड़ फीट तक बढ़ जाएगी जो वर्तमान जल संग्रह क्षमता से तीन गुना ज्यादा होगी और इससे 6.8 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की सिंचाई की सुविधा होगी तथा साथ में चालीस प्रतिशत अधिक विद्युत उत्पादन भी होगा और इससे बिजली की कमी से गुजर रहे देश को काफी लाभ मिलेगा। इससे पेयजल की कमी को भी दूर किया जा सकेगा तथा अकाल के समय भी लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 अप्रैल में इन्वायरमेंटल सब-ग्रुप आफ एनसीए की मीटिंग में बांध की ऊंचाई बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। हालांकि इस संदर्भ में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टरी भारत सरकार के सब-ग्रुप की अनुमति मिलना शेष है, जिसके तहत बांध की अधिकतम ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति मिल सकती है। जहां तक पुनर्वास व्यवस्था का सवाल है, इस संबंध में गुजरात और मध्यप्रदेश सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया है। इन राज्य सरकारों ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सब्मिट कर दी है तथा ग्रीवेंस रिड्रसल एथोरिटी के साथ परामर्श करके अपनी रिपोर्ट भी दे दी है तथा नर्मदा बांध के अंतिम काम को पूर्ण कराने की मांग की है।

महोदय, भारत सरकार ने भी अपनी आर एंड आर, पीएफ तथापि एक्शन टेकन रिपोर्ट ग्रीवेंस रिड्रसल एथोरिटी को प्रस्तुत कर दी है। जीआरए के साथ परामर्श प्रक्रिया का पूर्ण होना अभी शेष है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह जल्दी से जीआरए महाराष्ट्र की परामर्श रिपोर्ट मंगाकर तथा आर एंड आर सब ग्रुप आफ एनसीए की बैठक बुलाकर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे।

*t42

Title: Issue regarding crop damage due to heavy hailstorm in Jabalpur district in Madhya Pradesh.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने की बात हो रही है। किसान अपने खेत में बहुत मेहनत करता है, तब जाकर वह अन्नदाता कहलाता है। जब वह बीज बोता है, तो वह भविष्य के सपने देखने शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके सपने बिखर जाते हैं। ऐसी ही स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हुई है। पिछले दिनों 16 फरवरी को मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर के साथ मध्यप्रदेश के लगभग 35 जिलों में भीषण ओलावृष्टि हुई है। एक ही दिन में लगभग तीन बार ओले गिरे, भीषण आंधी चली, कई पेड़ तथा मकान गिर गए। बिजली के खंभे उखड़ कर दूसरी जगह गिर गए, इतनी भीषण आंधी वहां चली थी। पूरे प्रदेश में 35 जिलों में लगभग 106 तहसीलें इस भीषण ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं। 3688 गांव इससे प्रभावित हुए हैं और जो प्रारम्भिक आकलन हुआ है, उसके अनुसार लगभग 868 करोड़ रुपयों का नुकसान मध्यप्रदेश में हुआ है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र का अभी-अभी दौरा किया है, लगभग 35 गांवों में मैं स्वयं गया था। ग्रामीण क्षेत्र की चारों विधान सभाओं में लगभग सभी क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है और दो सौ गांवों में इसका असर है। महोदय, सौ-सौ ग्राम के ओले वहां गिरे थे। गेहूं, चना, मटर, मसूर जैसी सभी फसलें वहां चौपट हो चुकी हैं। शहपुरा, पाटन, बरगी, मझोली, पनागर, सिहोरा जैसे अनेकों क्षेत्र इससे प्रभावित हैं। लगभग जबलपुर में ही 35200 हेक्टेयर का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। फसलों का नुकसान 50 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक अलग-अलग फसलों के आधार पर उसका आकलन हुआ है। 50 हजार खातेदार सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं। जबलपुर में लगभग 150 से 200 करोड़ रुपयों के नुकसान का आकलन हुआ है। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि किसानों को राहत पहुंचे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदेश के अपने सीमित संसाधन होते हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं क्योंकि किसानों में आज भीषण निराशा है, पहले से ही वे महंगाई से त्रस्त हैं, ऊपर से प्राकृतिक आपदा की मार ने उन्हें तोड़ कर रख दिया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि संकट के समय में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सहायता प्रदान करे। इसके साथ जो कृषि ऋण है, क्योंकि आज किसान ऐसी स्थिति में आ कर खड़ा है कि वह अपना कर्जा भी नहीं चुका सकता है क्योंकि उसकी फसल चौपट हो चुकी है, उन कृषि ऋण को माफ करने में केंद्र सरकार आगे बढ़ कर राहत पहुंचाए और मध्य प्रदेश को अतिरिक्त सहायता प्रदान करे।

*t43

Title: Need to re-organise railway zones and railway division in the country.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रेलवे के जो डिवीजन हैं और रेलवे के जो ज़ोन हैं, उनको रि-ऑरगेनाइज करने की अब जरूरत है। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे बीकानेर डिवीजन का हेडक्वार्टर बीकानेर ही है। इसके पांच किलो मीटर बाद जोधपुर शुरू हो जाता है। अगर किसी डिवीजन में, जैसे मेरे डिवीजन के पांच किलो मीटर बाद रेलवे के किसी डिवीजन में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आग लग गयी तो इसके लिए स्टाफ जोधपुर से आता है, जो वहां से 240 किलो मीटर दूर है। ऐसा देश में और जगह भी है।

मैंने एक प्रश्न के माध्यम से रेलवे से जब प्रश्न किया तो रेलवे ने कहा कि हमारे यहां

रि-ऑरगेनाइजेशन करने का अभी कोई विचार नहीं है। जब मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट के सीट का लिमिटेशन, डी-लिमिटेशन हो सकता है, उनके क्षेत्र बदल सकते हैं या उनके क्षेत्रों का पुनर्निधारण हो सकता है तो रेलवे के डिवीजन, जहां डी.आर.एम. बैठता है और ज़ोन, जहां जी.एम. बैठता है, उनका रि-ऑरगेनाइजेशन क्यों नहीं हो सकता?

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री से मांग करता हूं कि रेलवे के डिवीजन और ज़ोन को रि-ऑरगेनाइज करे और उसको ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जिसका जहां हेडक्वार्टर है, उसके आस-पास का एरिया उस ज़ोन में या उस डिवीजन में आना चाहिए।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.00 a.m. on Tuesday, February 26, 2013.

18.57 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday, February 26, 2013/Phalguna 7, 1934 (Saka).

---

* Not recorded.

* Expunged as ordered by the chair.

** Not recorded

** Introduced with the recommendation of the President.

* Not recorded as ordered by the Chair .

* Not recorded as ordered by the Chair.

* Not recorded.

* English Translation of the speech is originally delivered in Bangla